न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 29 / 2024

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. पलाराम पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. रामप्रताप पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. राजेन्द्र पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. सन्दीप पुत्र रामेश्वर जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।

– सायलान

बनाम्

1. सिलोचना उर्फ शीला पुत्री पप्पु पुत्र काशीराम पत्नी गोपाल जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर वार्ड स0 1 गांधीगनर नोहर तहसील नोहर।

–असल गैरसायल

2. बीमा पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल निवासी जोधका तहसील सिरसा।
3. मीना देवी पुत्री कलो देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. सुभाष पुत्र भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल चक 14 बारानी तहसील नोहर।
5. वेदप्रकाश पुत्र भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल चक 14 बारानी तहसील नोहर।
6. कमला पुत्री पुत्री भूरी देवी पुत्री काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
7. शान्ति पत्नी रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
8. कमला देवी पुत्री रामेश्वर पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर।
9. सन्तोष उर्फ फातली पत्नी पप्पू पुत्र काशीराम जाति नाई निवासी परलीका तहसील नोहर हाल चक 15–16 केडब्ल्यूडी तहसील रावतसर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–तरतीबी गैरसायलान

प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13
व सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र किशो जोशी अधिवक्ता **सायलान**
2. श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय

दिनांकः 24/09/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी व सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा चक 1 आर.एम.एस तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2076 के खाता सं. 22/27 की कुल तादादी 0.280 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि जेठी पत्नि काशीराम जाति नाई साकिन परलीका तहसील नोहर व 1/4 हिस्सा भूमि भादर पुत्र काशीराम जाति नाई साकिन परलीका तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है एवं रोही मौजा चक 3 आर. एम.एस. तहसील नोहर के खाता सं. 22/18 के प.न. 359/415 मु.न. 35 के किला नं. 3/1 की 0.1690 हैक्टर कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा जेठी पत्नि काशीराम जाति नाई साकिन परलीका व 1/4 हिस्सा भूमि भादर पुत्र काशीराम जाति नाई साकिन परलीका तहसील नोहर खातेदार काश्तकार है। एंव रोही मौजा चक 20 एनटीआर तहसील नोहर के खाता सं. 28/30 के प.न. 348/420 मु.न. [illegible] किला नं. 3 की 0.2530 हैक्टर भूमि किला नं. 7/1 की 0.1810 हैक्टर भूमि, 8 की 0.25[illegible] हैक्टर भूमि कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

0.6870 हैक्टर भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि जेठी पत्नि काशीराम, भादर पुत्र काशीराम के नाम 1/4 हिस्सा भूमि दर्ज है।

वादग्रस्त भूमि मुश्तरका खान दान की जददी जायदाद वादग्रस्त कृषि भूमि काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसके पश्चात वर्तमान में जेठी पत्नि कारीराम व भादर पुत्र काशीराम के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है वादिया जेठी पत्नी काशीराम दादी है व भादर पुत्र काशीराम ताऊ है तथा वादग्रस्त भूमि में जेठी पत्नि काशीराम के 5 लड़के व 3 लडकीया हुई थी जिसमें से भादर फौत हो चुका है जिसके कोई वारिस नही है वह लावल्द फौत हो चुकी है जिसका विवाह नहीं हुआ था जिसके वारिस वादिया व प्रतिवादीगण है रामेश्वर के फौत होने के पश्चात उसके प्रतिवादी सं. 8 ता 12 है कलो देवी भी फौत हो गई है जिसके वारिसान प्रतिवादी सं. 4 है तथा भूरी देवी फौत हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 5 ता 7 है वादिया का पिता पप्पू भी फौत हो गया है। जिसके वादिया एवं प्रतिवादी सं. 13 वादिया की माता व वारिसा है इसलिए वादग्रस्त भूमि में वादिया व प्रतिवादीगण का हक व हिस्सा है उनके नाम राज्य रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

उपरोक्त अनवान का दावा पेश होने दिनांक 29/08/2024 तारीख पेशी दी गई है एवं प्रतिवादीगण की तलबी हेतु दिनांक 10/10/2024 को रजिस्टर सम्मन पेश किये गये एंव दिनांक 15/10/2024 को एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर पत्रावली साक्ष्यो बहस हेतु मुर्करर की गई है। उपरोक्त अनवान के दावा में प्राथीगण को ना तो सामान्य नोटिस दिया गया एवं रजिस्टर्ड नोटिस के साथ ना तो ए.डी. पेश की गई ना हो।

प्रतिवादी सं. 1, 2,9,10,11 पर सम्यक रूप से सम्मन तामिल नहीं हुवे है तथा साधारण सम्मन की प्रतिवादीगण पर तामिल नही करवाई गई तथा पत्रावली पर रजिस्टर सम्म्मन प्रस्तुति का कोई आदेश जारी नही हुवा तथा परोपर रूप से प्रतिवादीगण पर कोई तामिल नही हुई फिर भी न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15/10/2024 को एक्स पार्टी की गई है इसके अतिरिक्त आदेश 5 नियम 9 (1) की पालना नही की गई तथा नियम 5 की भी अवहेलना की गई है रजिस्टड डाक को जिसमें सम्मन है डाक कार्मचारी द्वारा ऐसे पृष्ठाकन के साथ वापिस करता है परन्तु पृष्ठाकन जिसमें डाक परिदत्त करने व इन्कार करने की कोई साक्ष्य नहीं है इसलिए प्रतिवादीगण अपनी साक्ष्य / जवाब देवी व सुनवाई के नैसर्गिक अधिकार से वंचित हो गये तथा सम्मन पर पृष्ठाकन अथवा डाक विभाग की पावती रसीद के बिना तामिल अप्रर्याप्त थी तथा दिनांक 05/11/2024 का एक्स पार्टी डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 2 व 9 ता 11 का वाद भूमि में हित निहित है उन्हे बिना सुने एक्स पार्टी डिक्री की गई है जो नैसर्गिक न्याय की अवहेलना में पारित है जो अपास्तनीय है। प्रार्थी प्रतिवादीगण का वाद भूमि में हक व हिस्सा था तथा डिक्री दिनाक 05/11/2024 Collusion पर आधारित है तथा बिना सुने एक पक्षीय तौर से पारित की गई है जो अपास्तनीय है।

अत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर बअनवानी प्रकरण सं. 714/2024 सिलोचना उर्फ शीला बनाम महेन्द्र आदि बअदालत श्रीमान सहायक कलेक्टर एंव उपखण्डाधिकारी राजस्वन नोहर अपास्त फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश होने [illegible] अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने [illegible] प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की अनवानी सिलोचना बनाम महेन्द्र निर्णय दि[illegible] 05.11.2024 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

एकपक्षीय कार्यवाही विधिवत व नियमानुसार सही की गई है एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का जितना हिस्सा बनता था उतना सभी को दिया गया है एवं उक्त निर्णय व पर्चा डिक्री की पालना में नामान्तरण भी दर्ज हो चुका है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी। बहस पर मनन किया व प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रकरण संख्या 714/2024 अनवानी सिलोचना बनाम महेन्द्र का अवलोकन किया। सायल का कथन है कि प्रकरण संख्या 714/2024 अनवानी सिलोचना बनाम महेन्द्र में हम सायलान को कोई सूचना नही दी गई एवं एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 07.08.2024 को रजिस्टर्ड सम्मन जारी किया गया है एवं दिनांक 15.10.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं प्रतिवादी का कथन है कि जितना हक हिस्सा बनता था वह दे दिया गया है। प्रार्थीगण को सम्यक नोटिस तामील हुए है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 24/09/25 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.10.15 17:43:35 IST
Reason: SelfAttested